न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 23/2024 दायर दिनांकः 28.10.2024

उनवान

1. नन्दू बाई उर्फ नन्दकंवर पुत्री नन्दकिशोर पत्नी राधेश्याम आयु 44 वर्ष जाति धोबी निवासी ग्राम आटोन हाल मुकाम प्रेमनगर कोटा जिला कोटा राज०

प्रार्थीया/वादीया

बनाम

1. बसन्तीबाई पुत्री नेनगीलाल जाति धोबी निवासी ग्राम आटोन तहसील अटरू जिला बारां राज० हाल प्रेमनगर कोटा जिला कोटा
2. सावित्रीबाई पुत्री नन्दकिशोर पत्नि सुरेश जाति धोबी
3. कन्याबाई पुत्री नेनगीलाल
4. कैलाशबाई पत्नि बाबूलाल
5. गोपाललाल पुत्र हीरालाल
6. मुकलेश पत्नि रमेश
7. सज्जनबाई पत्नि नन्दकिशोर अकवाम धोबी निवासीगण आटोन तहसील अटरू जिला बारां
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—

प्रार्थीया/वादीया :—विद्वान अभिभाषक श्री बृजराज सिंह चौहान

निर्णय

दिनाकः 18.12.2025

प्रार्थीया/वादीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि ग्राम आटोन तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या नया 46 पुराना 38 में आराजियात खसरा नंबर 498 रकबा 0.55 है0 व खसरा नंबर 1609 रकबा 1.62 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.17 है0 स्थित है जो इस वाद पत्र की विषय वस्तू है जिसे आगे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया जा रहा है। उक्त आराजियात मे वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा बांट

बराबर से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम नन्दूबाई है जबकि आधार कार्ड, जन आधार, भामाशाह कार्ड, परिवार कार्ड मे वादी का नाम नन्दकंवर दर्ज है। इसलिए राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम नन्दूबाई के स्थान पर नन्दकंवर दर्ज किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। राजस्व रिकार्ड मे राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादी का नाम गलत अंकन कर दिये जाने से वादी को बैंक से ऋण लेने के0सी0सी बनाने एंव राजकीय कार्यों मे अत्यधिक असुविधाओ का सामना करना पड रहा है। वादी ने कई बार राजस्व कर्मचारियो से राजस्व रिकार्ड मे हुई इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निवेदन किया परन्तू उन्होने कोई ध्यान नही दिया इसलिए वादी को यह वाद न्यायालय में पेश करना पड रहा है। इस कार्यवाही को पेश करने का वाद कारण वादी द्वारा अंतिम बार राजस्व कर्मचारियो से राजस्व रिकार्ड मे हुए गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने हेतु दिनांक 17/10/2024 को निवेदन किया परन्तू उनके द्वारा कोई ध्यान न देने से उत्पन्न हुआ। वाद अवधि मध्य पेश है। न्यायालय श्रीमान को वाद का श्रवणाधिकार एंव क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद उचित न्यायशुल्क पर पेश है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे दर्ज वादी का नाम नन्दूबाई के स्थान पर नन्दकंवर अंकित करने की कृपा करे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 लगायत 7 से कोई अनुतोष नही चाहा गया। प्रकरण के संबंध में तहसीलदार अटरू से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/3321 दिनांक 13.11.2025 से रिपोर्ट पेश की।

साक्ष्यप्रार्थी के तहत शपथ पत्र Pw1 बसन्ती बाई पुत्री नेनगीलाल जाति धोबी निवासी आटोन तहसील अटरू, Pw2 सावित्री बाई पुत्री नन्दकिशोर पत्नी सुरेश जाति धोबी निवासी आटोन तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा अभिभाषक प्रार्थिया की बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल अन्ताना सम्वत 2071–74 खाता संख्या 20, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू, पेन कार्ड, प्रशासक ग्राम पंचायत मेरमाचाह प्रमाण पत्र, शपथ पत्र गवाहान व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 46 में सहखातेदार बसन्ती बाई पुत्री नेनगीलाल व प्रार्थिया की सगी बहन सावित्री बाई पुत्री नन्दकिशोर ने भी नन्दूबाई का नाम नन्दकंवर होना स्वीकार किया है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण, साक्ष्यप्रार्थी तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 46 का खसरा नं. 1498 का रकबा 0.55 है0 व ख0नं0 1609 का रकबा 1.62 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.17 है0 आराजी में सहखातेदार नन्दूबाई पुत्री नन्दकिशोर के स्थान पर नन्दकंवर उर्फ नन्दूबाई पुत्री नन्दकिशोर किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल आटोन तहसील अटरू की आराजी खाता संख्या 46 का खसरा नं. 1498 का रकबा 0.55 है0 व ख0नं0 1609 का रकबा 1.62 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.17 है0 आराजी में सहखातेदार नन्दूबाई पुत्री नन्दकिशोर के स्थान पर नन्दकंवर उर्फ नन्दूबाई पुत्री नन्दकिशोर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें। जमाबन्दी के शेष अंकन यथावत रहेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार पीपलीवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां